

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ-1935/2017/

दिनांक :-

संयुक्त निदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

जोन-भरतपुर।


विषय :- श्रीमती मेरी पामर, नर्स श्रेणी-द्वितीय के विरुद्ध लम्बित प्रकरण में विभागीय जांच पूर्ण कर भिजवाने बाबत।

संदर्भ :- निदेशालय के आदेश क्रमांक 1212 दिनांक 5.6.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में लेख है कि विभागीय जांच विरुद्ध श्रीमती मेरी पामर, नर्स श्रेणी द्वितीय के विरुद्ध प्रकरण में आपको जांच अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया जाकर, प्रकरण की जांच 3 माह में पूर्ण कर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था, किन्तु एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने कार्मिका के विरुद्ध लम्बित प्रकरण का 15 दिवस में निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये हैं। अतः शीघ्र जांच पूर्ण करने हेतु श्रीमती मेरी पामर, नर्स-2(निलम्बित) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर एवं उपस्थापक अधिकारी का तत्काल जांच पूर्ण होने तक मुख्यालय आपके कार्यालय में करते हुये जांच 3 दिवस में पूर्ण कर जांच रिपोर्ट मय संबंधित दस्तावेज निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि माननीय न्यायालय के निर्देशों की समयपर पालना सुनिश्चित की जा सके।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार जांच प्रक्रिया अपनाते हुए जांच पूर्ण कर, जांच रिपोर्ट निदेशालय को नियत समय में भिजवाना सुनिश्चित करें। विलम्ब की स्थिति में माननीय न्यायालय में प्रकरण में पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ-1935/2017/1885

दिनांक :- 15/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर एवं उपस्थापक अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण की जांच प्रक्रिया में संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-सवाईमाधोपुर को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
2. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वा0) एवं प्रभारी अधिकारी केस सवाई माधोपुर।
3. श्रीमती मेरी पामर, नर्स श्रेणी-2(निलम्बित) द्वारा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु. स्वा. केन्द्र, बामनवास(स0मा0) को भेजकर लेख है कि विभागीय जांच प्रकरण में आप जांच अधिकारी के कार्यालय में उपस्थिति होकर जांच कार्य में सहयोग प्रदान करें अन्यथा आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही कर माननीय न्यायालय को अवगत करा दिया जावेगा।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु0 स्वा0 केन्द्र, खण्डार(स0मा0)
4. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।